संख्याः–1964 /38–7–2010–369एनआरईजीए/2008

प्रेषक,

आर0पी0सिंह,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 26 मई, 2010

विषयः–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के आदेश संख्याः–28012/3/05–06–NREGA, दिनांक 30.03.2007, शासनादेश संख्याः–2479/38–7–2008–एनआरईजीए/08, दिनांक 14.10.2008, आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्रांक–800/एनआरईजीएस–सेल–36/2008, दिनांक 30.05.2008 एवं शासनादेश संख्याः–2705/38–7–2008–369एनआरईजीए/08, दिनांक 14.01.2009 एवं भारत सरकार के आदेश संख्याः–J-11011/18/2007-NREGA, मार्च, 2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि की अनुमन्यता तथा विभिन्न मदों की धनराशि के व्यय के संबंध में प्रसारित निर्देश विषयक हैं। उक्त शासनादेश विभिन्न तिथियों में भिन्न–भिन्न प्रशासनिक व्यय मद की अनुमन्यता (4%, 6%) के संबंध में जारी किये गये हैं तथा इन शासनादेशों के संबंध में जनपद स्तर पर अनेक भ्रातियां हैं, जिसके कारण कतिपय जनपदों में ग्राम रोजगार सेवकों, तकनीकी सहायकों तथा अन्य कार्मिकों के मानदेय लंबित हैं। कतिपय प्रकरणों में धनराशि की अनुपलब्धता के कारण आवश्यक मदों में व्यय करने में कठिनाई महसूस की जा रही है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के नवीनतम शासनादेश–J-11011/18/2007-NREGA, 18 मार्च, 2009 को दृष्टिगत रखते शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

1– ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं कार्यदायी संस्था इन सभी को सम्मिलित करते हुए योजना मद में जनपद स्तर पर जो धनराशि का व्यय (श्रमांश एवं सामग्री अंश को जोड़कर) किया जायेगा उसका 6% प्रशासनिक व्यय मद में अनुमन्य होगा। प्रशासनिक व्यय मद में अनुमन्य धनराशि राज्य रोजगार गारण्टी निधि (राज्य स्तर से) सीधे जनपद को अवमुक्त की जायेगी।

2– अनुमन्य प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि हेतु जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर पृथक खाते का रख–रखाव किया जायेगा।

3– प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि से सर्वप्रथम योजना के कार्मिकों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

4– उक्त मानदेय के भुगतान के अतिरिक्त निम्नलिखित मदों में व्यय किया जा सकता हैः–

(1) सूचना, शिक्षा एवं संचार(आई0ई0सी0)
(2) प्रशिक्षण
(3) एम0आई0एस0।

(4) गुणवत्ता नियत्रंण/अनुश्रवण (सत्यापन/सोशल ऑडिट/वाहनों इत्यादि के व्यय भी इसमें सम्मिलित हैं)।

(5) शिकायत निवारण प्रणाली (हेल्पलाइन)।

(6) व्यवसायिक सेवाएं (Engaging professional service)।

(7) कार्यालय (Operational Expences)

(8) ग्राम पंचायत स्तर पर भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार स्थापित होने वाले भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में आई0सी0टी0 सुविधा पर होने वाले व्यय।

उपर्युक्त अनुमन्य मदों में से कार्मिकों के मानदेय का भुगतान भिन्न–भिन्न स्तरों से किया जाना है यथा–ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत स्तर से, तकनीकी सहायकों एवं ब्लॉक स्तर पर तैनात अन्य कार्मिकों के मानदेय का भुगतान ब्लॉक स्तर से तथा जनपद स्तर पर तैनात कार्मिकों का भुगतान जनपद स्तर से किया जाना है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए निम्न व्यवस्था की जा रही है:–

ग्राम पंचायत स्तरः–

1–ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध धनराशि में से ग्राम पंचायत द्वारा सृजित मानव दिवसों के सापेक्ष प्रत्येक मानव दिवस पर रू0 5 के हिसाब से प्रशाासनिक व्यय मद में धनराशि अनुमन्य होगी। उदाहरणार्थ–यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा 5000 मानव दिवसों का सृजन किया जाता है तो उस ग्राम पंचायत की प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि 25 हजार रू0 तक की सीमा में अनुमन्य होगी।

2–इस अनुमन्य धनराशि में से ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय का भुगतान किया जायेगा। ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय शासनादेश संख्याः–1319/38–7–2009–2एनआरईजीए/05 टी0सी0–1, दिनांक 27.05.2009 के क्रम में न्यूनतम 2500/– होगा तथा शासनादेश में वर्णित शर्तों के अनुसार यदि अनुमन्यता बनती है तो अधिकतम सीमा के अन्तर्गत मानदेय देय होगा।

3– यदि ग्राम पंचायत हेतु अनुमन्य प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि मानदेय के भुगतान हेतु पर्याप्त नहीं होती तो कम पड़ने वाली धनराशि की व्यवस्था विकास खण्ड हेतु अनुमन्य धनराशि से किया जायेगा।

विकास खण्ड स्तरः–

1– क्षेत्र पंचायत स्तर पर जितने मानव दिवसों का सृजन (ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए) किया जायेगा उन मानव दिवसों के सापेक्ष प्रत्येक मानव दिवस पर रू0 2.50 की दर से प्रशासनिक व्यय अनुमन्य होगा। उदाहरणार्थ– यदि एक विकास खण्ड की सभी ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए एक लाख मानव दिवसों का सृजन किया जाता है तो उस विकास खण्ड के लिए रू0 2.50 के हिसाब से रू0 2.50 लाख प्रशासनिक व्यय मद में धनराशि अनुमन्य होगी।

2–विकास खण्ड स्तर पर जितनी धनराशि अनुमन्य होगी उससे कार्मिकों का मानदेय, एम0आई0एस0 फीडिंग तथा अनुश्रवण इत्यादि मदों में प्राथमिकता के आधार पर व्यय किया जायेगा। विकास खण्ड हेतु अनुमन्य धनराशि भी अपर्याप्त होती है तो इसकी प्रतिपूर्ति जिला स्तर से की जायेगी।

जनपद स्तर पर

1– जनपद स्तर पर (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सृजित मानव दिवसों को सम्मिलित करते हुए) सृजित मानव दिवसों के सापेक्ष प्रत्येक मानव दिवस पर रू0 1.75 की दर से प्रशासनिक व्यय अनुमन्य होगा। उदाहरणार्थ– यदि किसी जनपद द्वारा 50 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जाता है तो उक्त जनपद हेतु 87.50 लाख प्रशासनिक व्यय मद में धनराशि अनुमन्य होगी।

2— जनपद स्तर से प्राथमिकता के आधार पर कार्मिकों का मानदेय, अनुश्रवण, सोशल ऑडिट, शिकायत निवारण प्रणाली, प्रशिक्षण, कार्यशाला तथा विभिन्न विभागों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं पर स्थलीय सुविधाओं यथा— छाया, फर्स्ट—एड, पेयजल, क्रेश तथा कार्यालय व्यय इत्यादि मदों में व्यय होने वाली वास्तविक धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3— कार्यदायी संस्थाओं (लाइन डिपार्टमेंट्स) द्वारा स्थलीय सुविधाओं तथा स्टेशनरी इत्यादि पर व्यय की जाने वाली धनराशि की अनुमन्यता अधिकतम रू0 2.50 प्रति मानव दिवस होगी। विभाग से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपभोग तथा व्यय बाउचर भी प्राप्त किया जायेगा।

मुख्यालय स्तर पर

जनपद में सृजित कुल मानव दिवसों के सापेक्ष प्रति मानव दिवस 75 पैसा मुख्यालय अंश के रूप में नरेगा सेल (आयुक्त नरेगा) को उपलब्ध कराया जायेगा। नरेगा सेल द्वारा इस धनराधि का उपयोग प्रशिक्षण, कार्यशाला, अनुश्रवण, मुद्रण, प्रचार—प्रसार, एक्सपोजर विजिट एवं कार्यालय व्यय इत्यादि मदों में प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय मद के संबंध में निर्गत सभी शासनादेश एवं परिपत्र इस शासनादेश के निर्गत होने के पश्चात अवक्रमित हो जायेंगे।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0पी0सिंह)
अनुसचिव।

संख्या— 1964 (1)/38—7—2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उ0प्र0।
(5) गार्ड बुक।

आज्ञा से

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव